R.M.M. Law College, Saharsa
Naresh Ji Anand
LL.B. Part II nd
Paper VI th
Environmental Law

वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण (धारा 19-31-क)

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के भाग iv में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण से सम्बन्धित उपबन्धों का वर्णन किया गया है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्बद्ध हैं :-

(1) राज्य सरकार (धारा 19, 20, 28 और 29)
(2) प्रदूषण सम्बन्धी सावधानियाँ (धारा 21, 22, 23)
(3) राज्य बोर्ड (धारा 22क, 24, 25, 26, और 31-क)
(4) अपीलीय प्राधिकारी (धारा 31)

(1) राज्य सरकार की शक्तियाँ :-

(i) वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की शक्ति (धारा 19)- (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी प्रक्रिया से जो विहित की जाए, राज्य के अंतर्गत कोई एक क्षेत्र या अनेक वायु नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा :-

(a) किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण

क्षेत्र को चाहे उसका विस्तार करके या उसे कम करके परिवर्तित कर सकेगी; या

(ग) ऐसा नया वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकेगी, जिसमें एक या अधिक वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र या उसका कोई भाग अथवा उसके कोई भाग सम्मिलित किये जा सकें।

(3) राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात यदि राज्य सरकार की राय में वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में या उसके किसी भाग में अनुमोदित ईंधन के अलावा किसी ईंधन का उपयोग वायु प्रदूषण कारित करता है या कारित करने की संभावना वाला है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र में या उसके किसी भाग में ऐसी तिथि से (प्रकाशन की तिथि से तीन महीने से कम नहीं) जो अधिसूचना में निर्दिष्ट हो, ऐसे ईंधन का उपयोग रोक सकती है।

(4) राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसमें विहित तिथि से प्रभावी करते हुए निर्देश दे सकती है कि अनुमोदित साधित्र से भिन्न कोई दूसरा साधित्र वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में स्थान परिसर में उपयोग नहीं किया जाएगा;

परंतु वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न साधित्र उपयोग के लिए भिन्न तिथियाँ निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(5) राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात यदि राज्य सरकार का यह मत है कि वायु प्रदूषण

Scanned with CamScanner

(3)

नियंत्रण क्षेत्र में या उसके किसी भाग में किसी पदार्थ का दोहन वायु प्रदूषण कर सकता है या करने की संभावना वाला है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र में या उसके किसी भाग में ऐसे पदार्थ का दोहन रोक सकती है।

राज्य सरकार द्वारा धारा 19 में वर्णित शक्ति के प्रयोग के लिए दो शर्तें हैं:-

(1) इस शक्ति का प्रयोग केवल राज्य बोर्ड से परामर्श के बाद किया जा सकता है।

(2) इस शक्ति का प्रयोग शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर किया जा सकता है।

राज्य सरकार धारा 19 के अंतर्गत निम्न कार्य कर सकती है:-

(1) प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करना
(2) किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र को परिवर्तित करना।
(3) नया वायु प्रदूषण नियंत्रण घोषित करना।
(4) अनुमोदित ईंधन को प्रतिषिद्ध करना।
(5) उपकरण के उपयोग के बारे में निदेश देना।
(6) किसी पदार्थ के दहन को प्रतिषिद्ध करना।

स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन के लिए मानक सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश देने की शक्ति (धारा 20)

धारा 17(1)(g) में राज्य बोर्ड द्वारा उत्सर्जन मानक सम्बन्धी आदेश का अनुपालन हो यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार राज्य बोर्ड से परामर्श के पश्चात मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत मोटर यान पंजीकरण अधिकारी को ऐसा अनुदेश दे सकती है जिसे वह आवश्यक समझती है।

ANKIT
Page No.
Date

वह आदेश अभिभावी प्रभाव वाला होगा। दूसरे शब्दों में जिस अधिकारी को राज्य सरकार ने आदेश दिया है वह (i) इस अधि. नियम के अंतर्गत किसी बात के होते हुए अथवा (ii) उसके अधीन बने नियमों के रहते हुए, ऐसे आदेशों से बाध्य होगा।

(3) राज्य वायु प्रयोगशाला स्थापित करने तथा नियम बनाने की शक्ति (धारा 28)

(4) राजकीय विश्लेषक की नियुक्ति करने की शक्ति [धारा 23(1)]

(5) अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति करने की शक्ति [धारा 31(2)]

Scanned with CamScanner